"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2016—आश्विन 8, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिग्विजय पिता श्री आर. पी. बिन्दू आयु 46 वर्ष निवासी म. नं. 1048 शिवाजी नगर तितुरडीह, वार्ड नं. 21 दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में विभाग आर. सी. एल. में ओ. सी. टी. के पद पर कार्यरत हू. मेरा पर्सनल नं.-403533 है. मेरी पुत्री आकांक्षा के जन्म प्रमाण-पत्र एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश दिग्विजय सिंह दर्ज हो गया है. जिसे मेरे द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर दिग्विजय रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे दिग्विजय पिता आर. पी. बिन्दू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
दिग्विजय सिंह पिता- श्री आर. पी. बिन्दू निवासी-म. नं. 1048 शिवाजी नगर तितुरडीह, वार्ड नं. 21 दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	दिग्विजय पिता- श्री आर. पी. बिन्दू निवासी-म. नं. 1048 शिवाजी नगर तितुरडीह, वार्ड नं. 21 दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धनंजय कुमार वर्मा पिता श्री दीनदयाल वर्मा उम्र-45 वर्ष निवासी ग्राम छावनी, द्वारा डॉ. एन. के. साहू कारगिल चौक के सामने पोस्ट-हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि वर्तमान में मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में विभाग एम. एम. एस.-1 में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं. मेरा पर्सनल नं.-153719 है. यह कि मेरे शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम धनंजय, धनंजय कुमार, धनंजय वर्मा, धनंजय कुमार वर्मा एवं डी. के. वर्मा दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम धनंजय कुमार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे धनंजय कुमार वर्मा पिता श्री दीनदयाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

धनंजय, धनंजय कुमार
धनंजय वर्मा, धनंजय कुमार वर्मा, डी. के. वर्मा
पिता-श्री दीनदयाल वर्मा
निवासी-ग्राम छावनी, द्वारा डॉ. एन. के. साहू
कारगिल चौक के सामने पोस्ट-हल्का औद्योगिक क्षेत्र
हाऊसिंग बोर्ड भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

धनंजय कुमार वर्मा
पिता-श्री दीनदयाल वर्मा
निवासी-ग्राम छावनी, द्वारा डॉ. एन. के. साहू
कारगिल चौक के सामने पोस्ट-हल्का औद्योगिक क्षेत्र
हाऊसिंग बोर्ड भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रभादेवी अग्रवाल पति श्री कमल कुमार अग्रवाल उम्र 59 वर्ष निवासी-क्वा. नं. 29 सड़क नं.-3 एच., प्रगति नगर रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम प्रभा अग्रवाल दर्ज है. तथा मेरे पति कमल कुमार अग्रवाल के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम प्रभा अग्रवाल दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती प्रभा देवी अग्रवाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती प्रभा देवी अग्रवाल पति श्री कमल कुमार अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

प्रभा अग्रवाल (PRABHA AGRAWAL)
पति-श्री कमल कुमार अग्रवाल
निवासी-क्वा. नं. 29 सड़क नं.-3 एच.,
प्रगति नगर रिसाली भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती प्रभा देवी अग्रवाल (Smt. PRABHA DEVI AGRAWAL)
पति-श्री कमल कुमार अग्रवाल
निवासी-क्वा. नं. 29 सड़क नं.-3 एच.,
प्रगति नगर रिसाली भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं सुधीश पँवार पिता स्व. श्री रमेश पँवार, आयु 31 वर्ष, निवासी फ्लैट नं. 101, अनिका हाईट्स, कचना रोड, भावना नगर, रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, बीमा, निगम आदि अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सोनू पँवार दर्ज है. जिसे मेरे द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सुधीश पँवार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सुधीश पँवार पिता स्व. श्री रमेश पँवार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सोनू पँवार
पिता-स्व. श्री रमेश पँवार
निवासी-फ्लैट नं. 101, अनिका हाईट्स,
कचना रोड, भावना नगर
तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

नया नाम

सुधीश पँवार
पिता-स्व. श्री रमेश पँवार
निवासी-फ्लैट नं. 101, अनिका हाईट्स,
कचना रोड, भावना नगर
तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 01 सितम्बर 2016

क्रमांक/परि. /परिसमापन/2016/2465.—जय मातादी महिला सहकारी समिति मर्या. बोदरी, पं. क्र. 269, विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2016/1748 दिनांक 25-05-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं प्रदीप ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये जय मातादी महिला सहकारी समिति मर्या. बोदरी, पं. क्र. 269 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री श्रीकांत शुक्ला, उप अंकेक्षक, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 01 सितम्बर 2016

क्रमांक/परि. /परिसमापन/2016/2466.—जय मछुआ सहकारी समिति मर्या. उषाढ़ पं. क्र. 3366, विकास खण्ड मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2016/1570 दिनांक 5-05-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं प्रदीप ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये जय मछुआ सहकारी समिति मर्या. उषाढ़ पं. क्र. 3366, विकास खण्ड मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आकाश शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी मरवाही , को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

प्रदीप ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.